डीजी परिपत्र संख्या-25 /2013

देवराज नागर,
आई.पी.एस.

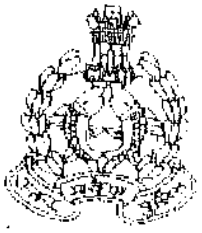

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश,
1-तिलक मार्ग, लखनऊ
दिनांकः लखनऊः मई 30 ,2013

प्रिय महोदय,

हत्या जैसी गम्भीर घटनाओं की रोकथाम के संबंध में समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक/परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक एवं समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक का व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। यह ध्रुव सत्य है कि हत्या जैसे अपराध का कारण कोई न कोई विवाद होता है या रंजिश होती है। हत्या की प्रत्येक घटना के पीछे रंजिश अथवा विवाद का पता थाना स्तर पर निश्चित रूप से किया जा सकता है।

परिपत्र सं0-डीजी-21/94 दि0 12.10.94
परिपत्र सं0-डीजी-1/95 दि0 14.1.95
परिपत्र सं0-डीजी-23/07 दि0 14.6.07
परिपत्र सं0-डीजी-68/07 दि0 21.8.07
परिपत्र सं0-डीजी-44/2008 दि0 11. 04.08

इस सम्बन्ध में पूर्व में हत्या एवं बल्वा की लिए पार्श्वांकित परिपत्र जारी किये गये थे, जिनकी ओर आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। आप इन महत्वपूर्ण दिये गये निर्देशों को स्वयं पढ़े तथा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करायें।

ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर

प्रत्येक थाना क्षेत्र में ऐसे अनेक गांव/मोहल्ले है जहॉ निम्न प्रकार के विवाद विद्यमान है:-

- सम्पत्ति
- पट्टीदारी
- पुरानी रंजिश(हत्या या अन्य अपराध के कारण)
- नाली/नाबदान
- रास्ते/मेड़ का विवाद
- आशनाई
- राजनैतिक विशेषकर ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर विद्यमान रंजिश
- जातीय एवं साम्प्रदायिक तनाव
- पार्टीबन्दी/गुटबन्दी आदि

इस मुख्यालय के परिपत्र संख्याः डीजी-68/07 दिनांक 21-8-07 के माध्यम से "ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर" प्रत्येक थाने पर बीटवार बनाये जाने, इसे अद्यावधिक करने एवं पुरानी रंजिशों को चिन्हित करके आवश्यक निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

पुनः दोहराया जा रहा है कि 'ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर' बीटवार बनाया जाएं और उसमें निम्नलिखित सूचनाएं अंकित की जाएं:-

- ग्राम/मोहल्ला का नाम
- विवाद की प्रकृति
- विवाद का कारण
- दोनो पक्षों के प्रमुख व्यक्तियों का नाम पता आदि अंकित किये जाये।
- समझौते का संक्षिप्त विवरण तिथिवार
- सम्बन्धित ग्राम/मोहल्ला को प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/उप निरीक्षक/हे0कां0/कान्स0 ने किस तारीख को चेक किया, अधिकारी का नाम दिनांक तथा जी0डी0 नम्बर सहित अंकित किया जाये। (रवानगी तथा वापसी दोनो का ही उल्लेख हो)
- समझौते की शर्तो का सही प्रकार से पालन हो रहा है या नही इस हेतु बाद में भी इस ग्राम/मोहल्ले की चेकिंग/निगरानी हेतु जाने वाले पुलिस कर्मी का नाम, पदनाम, दिनांक व जी0डी रपट नं0 (रवानगी तथा वापसी दोनो का ही उल्लेख हो)
- दोनो पक्षों द्वारा अंकित करायी गयी हस्तक्षेपीय/अहस्तक्षेपीय अपराधों का विवरण चाहे वह किसी भी थाने पर अंकित करायी गयी हो। प्रत्येक अपराध के सामने विवेचना व न्यायालय का परिणाम भी अंकित किया जाए।
- बीट सूचना यदि कोई अंकित करायी गयी हो तो उसका विवरण व की गई कार्यवाही।
- समझौते की शर्तो का उल्लंघन करने पर कृत कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण।
    - धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का तिथिवार विवरण।
    - धारा 116(3) द0प्र0सं के अन्तर्गत पाबन्द किये जाने का दिनांक।
    - लाइसेंसी सदस्य का लाइसेंस निरस्त कराने के लिए रिपोर्ट दी गयी या नही? यदि नही तो कारण अंकित किया जाए।

<u>विवाद चिन्हीकरण</u>

पुनः यह सत्यापित करा लिया जाए कि "ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर" बीटवार सभी थानों पर उपलब्ध है एवं उन्हें अद्यावधिक कर लिया गया है। अगले 15 दिवस में ऐसे सभी विवाद चिन्हित कर लिए जाएं जो बिना पुलिस के हस्तक्षेप के गम्भीर अपराध में परिवर्तित हो सकते हैं। विवाद चिन्हीकरण के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की जाए।

प्रथमतः निम्नलिखित सभी प्रकरण की सूची बना लें:-

- पूर्व के 5 साल के सभी हत्या व गम्भीर बलवे के प्रकरण।
- एक साल में पंजीकृत गैर दस्तंदाजी व बलवे के अभियोग।
- थाने पर विवाद सम्बन्धी प्राप्त प्रार्थना पत्र।
- स्थानीय मीडिया या अभिसूचना के आधार पर जानकारी में आए विवाद।

इन सभी प्रकरणों की बीटवार सूची बना ली जाए। बीट उपनिरीक्षक के नेतृत्व में बीट आरक्षी अपनी-अपनी बीट में इन प्रकरणों की समीक्षा कर ले। बीट में भ्रमण के दौरान ग्राम प्रधान, चौकीदार, स्थानीय लोगों से भी विवादों की जानकारी प्राप्त कर ली जाए। जातिगत व साम्प्रदायिक विवादों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर थानाध्यक्ष व बीट उपनिरीक्षक तदोपरान्त उन सभी विवादों को चिन्हित करेगें जहॉ हत्या या गम्भीर बलवा होने की सम्भवना है। ऐसे सभी विवादों को '''ग्राम/मोहल्ला विवाद रजिस्टर'' में अंकित किया जाएगा।

<u>विवाद निस्तारण</u>

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक इन रजिस्टरों को स्वयं अपने कार्यालय में मंगवाकर सुनिश्चित कर लें कि सभी विवाद उपरोक्तानुसार चिन्हित कर लिए गये हैं। विवाद निस्तारण के लिए यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि जहॉ विवाद चल रहे है, वहॉ पर निम्नलिखित कार्यवाही की जाए:-

- दं0प्र0सं0 की धारा 107/116, 116(3) की कार्यवाही की जाय तथा विवाद की गम्भीरता को देखते हुए पक्षों को भारी से भारी धनराशि से पाबन्द कराया जाय।
- यदि लाइसेंसी शस्त्र हो तो उसे जमा करा लिया जाय तथा आवश्यकतानुसार शस्त्र लाइसेंस निरस्त/निलम्बित कराया जाय।
- पूर्व के मुकदमों में गिरफतारी कराकर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा जाय।
- आवश्यकतानुसार गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।
- आवश्यकतानुसार पिकेट गार्द लगायी जाय।
- कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से विवाद में कमी के प्रयास किए जाय।
- सम्भ्रान्त लोगों के माध्यम से समझौता कराया जाय।
- भूमि विवाद, यदि कोई हो तो, का निस्तारण राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित करके कराया जाय।
- भूमि विवाद में आवश्यकतानुसार भूमि को कुर्क कराया जाय।
- अन्य विवाद में सम्बन्धित विभाग का सहयोग लेकर उसका निदान कराया जाय, जैसे नहर के पानी के विवाद में सिंचाई विभाग का हस्तक्षेप कराया जाय।

- निरीक्षक/थानाध्यक्ष, उपनिरीक्षक, आरक्षी जब क्षेत्र में जाय तो चेक कर लें कि समझौते का पालन हो रहा है या नही। समझौते का उल्लंघन करने वाले के विरूद्व निरोधात्मक कार्यवाही करें तथा भ्रमण एवं चेकिंग का उल्लेख जी0डी0 में करें।

क्षेत्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि विवाद चिन्हीकरण और निरोधात्मक कार्यवाही की समीक्षा वह प्रत्येक थानें में हर पक्ष में करते रहें। गम्भीर प्रकरण में स्वयं हस्तक्षेप करेगें और यदि आवश्यकता हो तो वरिष्ठ स्तर पर हस्तक्षेप का निवेदन करें।

अपर पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक गम्भीर प्रकरण की समीक्षा स्वयं करें।

हत्या उपरान्त समीक्षा

- जब कोई हत्या की घटना घटित हो तो एस0आर0 के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार सूचना प्राप्त करके उसकी समीक्षा पुलिस अधीक्षक स्वयं करें।
- यदि पूर्व से चिन्हित विवाद में समस्त निरोधात्मक कार्यवाही करने के पश्चात कोई हत्या हो जाती है तो अभियुक्तगण की शीघ्रता से गिरफतारी करायी जाय तथा वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित करके आरोप पत्र प्रेषित कराया जाय। प्रभावी पैरवी कराकर अभियुक्तगण को दण्डित किया जाय।
- यदि पूर्व से चिन्हित विवाद में पुलिस द्वारा अपर्याप्त निरोधात्मक कार्यवाही या शिथिलता के कारण हत्या की घटना घटित होती है तो दोष निर्धारण कर सम्बन्धित को दण्डित किया जाय। यहां यह भी देखा जाय कि यदि विवाद की कोई पूर्व सूचना नही थी, तो क्या बीट उपनिरीक्षक/कर्मी उसके लिए तो दोषी नही है।
- पुलिस अधीक्षक की समीक्षात्मक टिप्पणी एस0आर0 पत्रावली पर उपलब्ध रहेगी और परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक को अग्रसारित होगी। परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक हत्या की एस0आर0 पत्रावली के अवलोकन के समय पुलिस अधीक्षक की समीक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान देगें।

मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि विवादों का सही चिन्हांकरण और समय से विवाद निस्तारण हेतु पर्याप्त पुलिस हस्तक्षेप किया जाय तो हत्याओं की घटनाओं में काफी अंकुश लग सकता है। मैं चाहूँगा कि व्यक्तिगत रूचि लेकर समस्त कार्यवाही सम्पन्न कर ली जाय।

संलग्नक: यथोपरि (प्रारूप)

भवदीय,

20-5-13

(देवराज नागर)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उ0प्र0 (नाम से)।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषितः-

1. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक उ0प्र0।

हत्या की घटनाओं के विश्लेषण हेतु प्रारूप

क्र0 सं0	जनपद/थाना	मु0अ0सं0	धारा	दिनांक	वादी का नाम	कुल अभियुक्त	घटना का मुख्य कारण	विवाद की पूर्व सूचना			विवाद निस्तारण की कार्यवाही												पुलिस अधीक्षक की समीक्षात्मक टिप्पणी
								पूर्व एफ0आई0आर0	पूर्व एन0सी0आर0	पूर्व प्रार्थना पत्र	विवाद के चिन्हीकरण की तिथि	समझौते का दिनांक			धारा-107/116/116(3) द0प्र0सं0 की कार्यवाही का विवरण			लाइसेंसी शस्त्र निरस्तीकरण का विवरण		कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रयास	पिकेट लगाया गया	थानाध्यक्ष/उप निरीक्षक/मुख्य आरक्षी/आरक्षी का क्षेत्र भ्रमण	
												सम्भ्रांत व्यक्तियों द्वारा	दोनो पार्टियों द्वारा	सरकारी विभाग द्वारा	107/116/116 (3) द0प्र0सं0 की कार्यवाही की गई अथवा नहीं। यदि नहीं तो क्यों	107/116 के अन्तर्गत चालान व्यक्तियों की संख्या व दिनांक	116(3) के अन्तर्गत पाबन्द व्यक्तियों की संख्या व दिनांक	शस्त्र निरस्तीकरण की गई अथवा नहीं। यदि नहीं तो क्यों?	लाईसेन्सी शस्त्र पुलिस कब्जे में लिया गया अथवा नहीं, दिनांक सहित				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24